निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

उपस्थितः– वकील प्रार्थी श्री डी.सी. सेठी

दिनांक 14/01/2015

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डीसी सेठी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ़ की खसरा संख्या 1848 जिसका मूल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा था एवं उपरोक्त भूमि में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि नेशनल हाइवें हेतु आवाप्त की गई जिसका खसरा संख्या 1848/1 कायम किया जाकर नेशनल हाइवें अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के नाम दर्ज किया गया। शेष रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा संख्या 1848 के रूप में राजस्व रिकार्ड में कायम है। भूमि खसरा संख्या 1848 मूल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में रामकरण, देवकरण उर्फ सरदार पुत्र कल्याण 1/4 हिस्से के. बिदाम बेवा लादू 1/4 हिस्से के, छीतर पुत्र नारायण 1/4 हिस्से के, गणेश पुत्र नारायण 1/4 हिस्से के सहखातेदार थे। उपरोक्त गणेश पुत्र नारायण के देहावसान पश्चात् प्रार्थी सख्या 1 लगायत 4 हिस्से 1/4 के, छीतर पुत्र नारायण के देहावसान पश्चात् प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 हिस्से 1/4 के एवं बिदाम बेवा लादू के देहावसान पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 हिस्से 1/4 के उत्तराधिकारी होकर काबिज हो गये। वर्णित कृषि भूमि में से जो 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु आवाप्त की गयी थी, वह अप्रार्थी संख्या 1. 2 के मूल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा मे से उनके निहित 1/4 अर्थात् 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में से आवाप्त की गयी थी, जिसके बाबत् अप्रार्थी संख्या 1. 2 ने आवाप्ति के पूर्व ही दिनांक 23.9.2002 को एक प्रलेख निष्पादित करते हुये यह स्वीकार किया था कि. आयाप्तशुदा भूमि रकबा 2. बीघा त बिस्वा उनके हिस्से में से गयी है तथा आवाप्तिपदा पश्चात् उनका उपरोक्त भूमि में शेष हिस्सा लगभग 11 बिस्वा शेष रहता है। उपरोक्त प्रलेख से अप्रार्थी संख्या 1. 2 कायम पाबन्द वचनबद्ध है एवं इस प्रलेख के विपरीत कथन करने से विधि से प्रवारित है। वर्णित उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 1848 मूल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 3 लगायत 8 के पूर्वाधिकारियों एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 का निम्नानुसार हिस्सा रहता हैं एवं अप्रार्थी सख्या 1. 2 के 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि की आवाप्ति से निम्नानुसार हिस्सा, रकबा रहता हैं जिसे स्पष्ट करने हेतु सारिणी के रूप में अभिवाक किया है –

नाम	खसरा संख्या 1848 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में हिस्सेदार	आवाप्ति पश्चात खसरा संख्या 1848 का रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सेदार
गणेश पुत्र नारायण (जिनके देहावसान पश्चात प्राथर्थी संख्या 1 लगायत 4 उनके वारिसान के रूप में दर्ज है।)	1/4 हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी	हिस्सा 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी होना चाहिये, जबकि वर्तमान में 8 बीघा 9 बिस्वा का 1/4 अर्थात् 2 बीघा 2 बिस्वा एवं 5 बिस्वान्सी ही अंकित हो रखा है।
छीतर पुत्र नारायण (जिनके देहावसान पश्चात प्रार्थी सख्या 5 लगायत 8 उनके वारिसान के रूप में दर्ज है।)	1/4 हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी	हिस्सा 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी होना चाहिये, जबकि वर्तमान में 8 बीघा 9 बिस्वा का 1/4 अर्थात् 2 बीघा 2 बिस्वा एवं 5 बिस्वान्सी ही अंकित हो रखा है।
बिदाम बेवा लादू (जिनके देहावसान पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 उनके वारिसान के रूप में दर्ज है।)	1/4 हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी	हिस्सा 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी होना चाहिये, जबकि वर्तमान में 8 बीघा 9 बिस्वा का 1/4 अर्थात् 2 बीघा 2 बिस्वा एवं 5 बिस्वान्सी ही अंकित हो रखा है।
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 रामकरण व देवकरण उर्फ सरदार	1/4 हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी	उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 1. 2 के 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवाप्त की गयी इस कारण से शेष 11 बिस्वा 10 बिस्वान्सी ही दर्ज होनी चाहिये, जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1848 की 8 बीघा 9 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

		में से 1/4 हिस्सा अर्थात 2 बीघा 2 बिस्वा एवं 5 बिस्वान्सी दर्ज हो रखी है।

प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1, 2 के हिस्से 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में से आवाप्ति के पश्चात् शेष बचे हुये रकबे में हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1. 2 के हिस्से मे से ही कम होना चाहिये था, किन्तु राजस्व अधिकारियों की गणना की त्रुटि की वजह से अप्रार्थी संख्या 1, 2 के आवाप्तशुदा 2 बीघा 1 बिस्वा हिस्से को प्रार्थीगण के मूल रकवें में से भी कम कर दिया गया है। जिसके कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1848 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा मे गणना की त्रुटि हो गयी है तथा इस गणना की त्रुटि की वजह से प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार 8 बीघा 9 बिस्वा मे से 1/4 हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 2 बिस्वा व 5 विस्वान्सी भूमि ही प्राप्त हो रही है तथा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के उपरोक्त कम हुये रकबे 10 बिस्वा 5 बिस्वान्सी को अप्रार्थी सख्या 1, 2 के हिस्से में अधिक दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 के हिस्से 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में से आवाप्ति के पश्चात् शेष बचे हुये रकबे में हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1, 2 के हिस्से में से ही कम होना चाहिये था, किन्तु राजस्व अधिकारियों की गणना की त्रुटि की वजह से अप्रार्थी संख्या 1, 2 के आवाप्तशुदा 2 बीघा 1 बिस्वा हिस्से को प्रार्थीगण के मूल रकबे में से भी कम कर दिया गया है। जिसके कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1848 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा मे गणना की त्रुटि हो गयी है तथा इस गणना की त्रुटि की वजह से प्रार्थी सख्या 5 लगायत 8 को 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार 8 बीघा 9 बिस्वा मे से 1/4 हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 2 बिस्वा व 5 बिस्वान्सी भूमि ही प्राप्त हो रही है तथा प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के उपरोक्त कम हुये रकबे 10 बिस्वा 5 बिस्वान्सी को अप्रार्थी संख्या 1, 2 के हिस्से में अधिक दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 का अप्रार्थी संख्या 1. 2 से कूसंयोजन है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 ने इस कारण प्रार्थीगण के वाद में संयुक्त सहप्रार्थी बनकर वाद प्रस्तुत किये जाने में उदासीनता प्रकट की। इस कारण उन्हें सह खातेदार होने से पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है ताकि वाद विनिश्वय में किसी प्रकार का कोई पश्चातवृत्ति रूप से शंका, आवरण नही रहें। अप्रार्थी संख्या 1. 2 द्वारा दिनांक 23.9.2002 के निष्पादित प्रलेख के अनुक्रम में अप्रार्थी संख्या 1, 2 उक्त प्रलेख के विपरीत कथन करने से विबन्धित है। वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त खसरा संख्या 1848 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में से 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी एवं प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 उपरोक्त खसरा संख्या 1848 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में से 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी पर काबिज चले आ रहे है।

प्रथम दृष्ट्या पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम किशनगढ पटवार हल्का किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1848 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 1, 2 के हिस्से मे से आवाप्तशुदा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1, 2 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के उपरोक्त भूमि में निहित 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी एवं प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के उपरोक्त भूमि में निहित 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में प्रार्थीगण के काश्त कार्यों में बाधा नहीं करें एवं त्रुटियुक्त राजस्व अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि को किसी अन्य को किसी भी रूप में अन्तरित, भारग्रस्त नहीं करें तो अप्रार्थीगण को कोई कठिनाई नही होगी। इसके विपरीत यदि उन्हें पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे। जिससे वाद बाहुल्यता का विस्तार होगा एवं प्रार्थीगण को असीम कठिनाई होगी।

अप्रार्थीगण को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ के खसरा संख्या 1848 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से की 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी एवं प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के हिस्से की 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी के बाबत् प्रार्थीगण के काश्त कार्यों में बाधा नहीं करें, प्रार्थीगण को बलात बेदखल नही करें, किसी अन्य को अन्तरित नहीं करें, राजस्व रिकार्ड में यथास्थिती बनाये रखे

ग्राम किशनगढ के खसरा नं.–1848 का मूल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा था, जिसमें से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे को अवाप्त की जाकर खसरा संख्या– 1848/1 कायम कर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के नाम दर्ज किया गया। शेष रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं.– 1848 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा संख्या–1848 मूल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 हिस्सा 1/4 के, विदाम बेवा लादू हिस्सा 1/4 के, छीतर पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 के, गणेश पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 के सहखातेदार थे। गणेश पुत्र नारायण के देहान्त पश्चात प्रार्थी संख्या–1 लगायत 4, 1/4 हिस्से के व छीतर पुत्र नारायण के देहान्त पश्चात प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8, 1/4 हिस्से के तथा बिदाम बेवा लादू के देहान्त पश्चात अप्रार्थी संख्या– 3 लगायत 8, 1/4 हिस्से के खातेदार हो गये। वर्णित कृषि भूमि खसरा नं.–1848 में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी, खसरा नं.–1848 ना तो अवाप्ति के समय विभाजित था ना ही आज दिन तक विभाजित है। अवाप्त भूमि 2 बीघा 1 बिस्वा सम्पूर्ण खसरे में से सभी के हिस्से में से अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा प्रत्येक खातेदार को मिला था। अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 को उनके हिस्से अनुसार मुआवजा राशि में से 1/4 हिस्सा ही मिला था। यह कथन गलत होने से अस्वीकार है कि अवाप्त की गई भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से अवाप्त की गई थी। यह कथन अस्वीकार है कि दिनांक 23. 09.2002 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अवाप्ति पूर्व कोई प्रलेख निष्पादित किया हो। यह कथन अस्वीकार है कि अवाप्तशुंदा भूमि 2 बीघा 1 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से ही अवाप्त की गई हो। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 के हिस्से में 11 बिया भूनि ही शेष हो। वर्तमान भूमि खसरा नं.–1848 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 का 1/4 हिस्सा निहित है। पैरा संख्या–5 के कथन वर्णितानुसार गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। पैरा में जो सारणी वर्णित की है वह गलत होने से अस्वीकार है। मूल भूमि खसरा संख्या– 1848 रकबा 10 वीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई। अवाप्ति पश्चात खसरा संख्या– 1848 का रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा रहा, जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 व 2 का 1/4 हिस्सा है जो अवाप्ति पश्चात 2 बीघा 2 बिस्वा 5 बिस्वांसी होता है जो सही रूप से इन्द्राज किया हुआ है। खसरा संख्या–1848 में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि मात्र अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 के हिस्से की भूमि में से ही अवाप्त की गई है। यह कथन भी अस्वीकार है कि अवाप्त भूमि अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 के हिस्से में से कम कर दर्ज की जानी थी। खसरा नं.–1848 की भूमि सहखातेदारी की अविभाजित भूमि थी, जिसमें से भूमि अवाप्त की गई थी, भूमि अवाप्ति सभी खातेदारान के हिस्से अनुसार अवाप्ति में अवाप्त हुई थी। शेष रकबा 8 बिस्वा 9 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 के हिस्से में 2 बीघा 2 बिस्वा 5 बिस्वासी भूमि आती है जो विधिक रूप से खातेदारी में दर्ज है। यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में अधिक भूमि दर्ज की गई हो। खसरा संख्या–1848 में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि मात्र अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 के हिस्से की भूमि में से ही अवाप्त की गई है। यह कथन भी अस्वीकार है कि अवाप्त भूमि अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 के हिस्से में से कम कर दर्ज की जानी थी। खसरा नं.–1848 की भूमि सहखातेदारी की अविभाजित भूमि थी, जिसमें से भूमि अवाप्त की गई थी, भूमि अवाप्ति सभी खातेदारान के हिस्से अनुसार अवाप्ति में अवाप्त हुई थी। शेष रकबा 8 बिस्वा 9 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 के हिस्से में 2 बीघा 2 बिस्वा 5 बिस्वासी भूमि आती है जो विधिक रूप से खातेदारी में दर्ज है। यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 के हिस्से में अधिक भूमि दर्ज की गई हो। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 का अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 से कुसंयोजन होने के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने पैरा में मिथ्या कथन वर्णित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 23.09.2009 को कोई प्रलेख निष्पादित नहीं किया गया है, जब कोई प्रलेख ही निष्पादित नहीं किया गया है तो प्रलेख के विपरीत कथन करने से विबन्धित होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा है, प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा है अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है अप्रार्थी संख्या– 3 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा हैं। भूमि सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है। मौके पर सभी अपने–अपने हिस्सेनुसार ही काबिज है। प्रार्थीगण का अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने के कथन अस्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है बल्कि तीनों ही बिन्दु अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 के पक्ष में है। भूमि खसरा संख्या– 1848 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में से भूमि अवाप्त होने के पश्चात भूमि का रकबा 8 बीघा 9 बिस्था हो गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है जो 2 बीघा 2 बिस्वा 5 बिस्वांसी है। पैरा में प्रार्थी संख्या– 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा है जो 2 बीघा 2 बिस्वा 5 बिस्वांसी है। यह कथन अस्वीकार है कि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि आती हो। पैरा में प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा है जो 2 बीघा 2 बिस्वा 5 बिस्वांसी है। यह कथन अस्वीकार है कि भूमि में प्रार्थी संख्या– 5 लगायत 8 के हिस्से में 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि आती हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादअधीन भूमि के 1/4 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है। भूमि विधिक रूप से अविभाजित है जो आज भी सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। सहखातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान् की सेवा में प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सव्यय खारिज किये जाने की कृपा करें।,

प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में निम्न जवाबो बुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने जानबूझकर गलत तथ्य अंकित किये है। उपरोक्त वाद अधीन खसरा संख्या 1848 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा मे से जो पहले 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवाप्त हुई थी वह अवाप्त अधीन भूमि उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से की थी। जिसके बाबत् प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा दिनांक 23.9.2002 को प्रलेख निष्पादित किया था एवं इसके साथ साथ भूमि आवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 21.9.2002 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि, "खसरा संख्या 1848 की रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवाप्त हुई हैं जो रामकरण, देवकरण उर्फ सरदार पुत्र कल्याण गुर्जर के खातेदारी, कब्जे, काश्त की है एवं उन्होनें यह चाराजोही भी की है :–"उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में खसरा नम्बर 1848 में 2 बीघा भूमि 1 बिस्वा भूमि जो अवाप्त हुई हैं वह मौके पर बटवारें अनुसार प्रार्थीयान, रामकरण देवकरण उर्फ सरदार पि० कल्याण गुर्जर निवासी गुर्जरों के बाडा किशनगढ की है। अतः अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा उक्त प्रकाशन में शुद्धि कर हम प्रार्थीगणों को दिलाने की कृपा करें। जमाबन्दी व मौके पर बटवारें अनुसार नजरी नक्शा संलग्न है।"तथा इसके पश्चात अन्य सह खातेदारान तत्समय वादीगण के पूर्वाधिकारी गणेश व छीतर ने स्पष्ट रूप से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि आवाप्त अधीन 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1. 2 के हिस्से की हैं एवं उन्होने यह निवेदन किया थाः– "अतः श्रीमान से निवेदन है कि कालू पुत्र लादू की कय की गई भूमि रामकरण व देवकरण उर्फ सरदार के वर्तमान जमाबन्दी में दरूस्ती करवाकर 11 बिस्वा भूमि का नामान्तरण करवा कर ही इस रोड की भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान उक्त रामकरण व देवकरण स्र्फ सरदार पि० कल्याण गुर्जर को किया जावें। छीतरमल व गणेश पुत्र नारायण व बिदाम बैवा लादू कौम माली के चैक जो बने हुये हैं, उन्हें निरस्त फरमाया जाकर पद की अवाप्त भूमि का एक बैंक रामकरण व देवकरण उर्फ सरदार पुत्रगण कल्याण गुर्जर के नाम से जारी कर दिया तो इस बादार प्रत्रगकसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही होगा।" इस तथ्य का संज्ञान भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 को है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने ही अवाप्त भूमि का मुआवजा 82000/– रूपये का भुगतान निम्न विवरण के चैक से प्राप्त किया हैं :–

क.सं.	चैक संख्या व दिनांक	राशि	प्राप्तकर्ता
1	032041 पीएनबी दि० 11.7.2002	10,000/– रू०	रामकरण के पिता कल्याण उर्फ काना
2	032042 पीएनबी दि० 11.7.2002	10,000/– रू0	देवकरण (प्रतिवादी सं० 2)
3	032044 पीएनबी दि० 11.7.2002	5,000/– रू०	प्रतिवादी सं० 1, 2 के पिता कल्याण उर्फ काना
4	032045 पीएनबी दि० 11.7.2002	5,000/– रू0	देवकरण (प्रतिवादी सं० 2)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

	038349 दिनांक 28.02.2003	15,750/– रू0	देवकरण(प्रतिवादी सं० 2)
6	038350 दिनांक 28.2.2003	15,750/–	देवकरण(प्रतिवादी सं० 2)

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवाप्त अधीन भूमि का मुआवजा प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने प्राप्त किया है एवं वादीगण के पूर्वाधिकारी गणेश व छीतरमल ने स्पष्ट रूप से दिनांक 23.9.2002 को ही भूमि आवाप्ति अधिकारी के समक्ष यह प्रतिवेदन कर दिया था कि उनकी भूमि आवाप्त नही की जा रही हैं, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1. 2 की भूमि आवाप्त की जा रही है। जिसे प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने भी मुआवजा प्राप्त करते समय स्वीकार किया एवं इस परिपेक्ष में जो अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने माननीय न्यायालय में जवाब पैरा संख्या 4 व 6 मे कथन किये हैं, वह आश्चर्यजनक रूप से वादी को अचम्भित करने जैसे है एवं माननीय न्यायालय ने गलत रूप से जवाब प्रस्तुत किया है एवं इस परिपेक्ष में उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 1. 2 का राजस्व रिकार्ड में अंकन गलत हैं। आवाप्ति के पश्चात् खसरा संख्या 1848 की बची हुयी भूमि रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में गणेश के वारिसान प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी एवं छीतर के वारिसान प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी के हकदार रहते हैं।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय से जारी मुआवजा वितरण विवरण में तत्कालीन समस्त खातेदारों के नाम हैं तथा दर्ज विवरण से जाहिर है कि समस्त खातेदारों को पृथक पृथक चैक (धनादेश) से मुआवजा राशि का अन्तरण किया गया है। अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा तत्कालीन समस्त खातेदारों को किया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में से अवाप्त भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समस्त तत्कालीन पक्षकारान को किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– :– वादअधीन भूमि में से अवाप्त भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समस्त तत्कालीन पक्षकारान को किया गया है तथा भूमि अवाप्त की गई है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में सहखातेदार है, राज. का. अधि. के प्रावधानानुसार सहखातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है, अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/1/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)